



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 248) पटना, बुधवार, 7 अप्रील 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं0 वि०स०वि०-06/2010-1148/वि०स०।—“बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2010”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-10/2010]

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-10 का संशोधन ।—उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी :-

“(3) उप-धारा (2) के अधीन किसी मामले के उपशमन के बाद इस अधिनियम के अधीन दायर मामलों का इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्याय निर्णीत एवं निपटारा किया जायेगा ।”

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में रैयती भूमि से संबंधित विवादों के त्वरित निराकरण के लिए “बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009” विधान मंडल द्वारा पारित है। इस अधिनियम की धारा-10(2) में यह प्रावधान है कि अनुसूची-2 में उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही तथा जिसमें उठाए गये मुद्दे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद के मुद्दों के समान हो, उपसमित हो जायेगी।” लेकिन कार्यवाही के उपशमन के बाद किस प्राधिकार द्वारा इन मुद्दों का निष्पादन लिया जायेगा, यह प्रावधान नहीं रहने के कारण अधिनियम की धारा 10(2) में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। फलतः एक नई धारा 10(3) जोड़ी गई है, जो निम्नलिखित है :-

“(3) उपधारा-(2) के अधीन किसी मामले के उपशमन के बाद इस अधिनियम के अधीन दायर मामलों का इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्याय निर्णीत एवं निपटारा किया जायेगा।”

धारा 10(3) के जोड़े जाने से विभिन्न प्रकार के भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन एवं प्रभावशाली ढंग से निराकरण के प्रयोजन से बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 को अधिनियमित कराने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त के लिए संशोधित प्रावधान को उपबंधित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(नरेन्द्र नारायण यादव)
भार साधक सदस्य

पटना:
दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 248-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>